

क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त का कार्यालय

OFFICE OF THE REGIONAL PROVIDENT FUND COMMISSIONER,
PUNE CANTONMENT BOARD BUILDING, GOLIBAR MAIDAN, PUNE.

सं./मह./म. नि./प्रयोक्तता

No. MH/3/84/PF/APP/ 828/104/364

दिनांक

Date: 27-3-97

सेवा में

To

Shri Dr. K. Rajan George, (Vice President)
M/S. Birla Airtel Communication Hd.
Sharda Centre, 11/1, Lardwane
off. Karve Road, Pune-4

विषय :- कर्मचारी भविष्य निधि एवं प्रकिये उपलब्ध अधिनियम, 1952 और उसके अधिन बनाई गई योजना-इसकी प्रयोक्तता-संकेत संख्या का आवंटन।

Sub: Employees' Provident Fund and Miscellaneous Provisions Act, 1952 and the scheme framed thereunder-applicability thereof-Allotment of code number.

महोदय,
Sirs,

1. आपकी फैक्ट्री/स्थापना उसकी सभी शाखाएँ और विभागों के साथ दि. 1-1-96 से कर्मचारी भविष्य निधि एवं प्रकिये उपलब्ध अधिनियम, 1952 और उसके अधिन बनाई गई योजना के प्रविधान अधिन में समाविष्ट की गई है। उपलब्ध सूचनाओं के अनुसार यह प्रकट होता है कि :-

1. Your factory/establishment with all its branches and departments is brought within the purview of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 and the scheme framed thereunder with effect from 1-1-96. The information made available reveals that—

(1) आपकी फैक्ट्री अनुसूची 1 में उल्लिखित उद्योग का कार्य करती है जिसपर अधिनियम की धारा 1 (3) के अधिन कर्मचारी भविष्य निधि एवं प्रकिये उपलब्ध अधिनियम, 1952 लागू होता है।

(i) Your factory is engaged in one of the Industries specified in Schedule 1 to which the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 is applicable under Section 1 (3) (a) of the Act.

2. आपकी स्थापना के लिए वर्गीकृत की गई है जिसपर अधिनियम की धारा 1 (3) (बी) के अधिन भारत सरकार द्वारा जारी की गई अधिसूचना के अनुसार कर्मचारी भविष्य निधि एवं प्रकिये उपलब्ध अधिनियम, 1952 लागू किया है।

(ii) Yours is an establishments classified as to which the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 has been made applicable by the Government of India by a Notification issued under Section 1 (3) (b) of the Act.

3. आपकी फैक्ट्री/स्थापना जो कार्य करती है वह अनुसूची 1 में उल्लिखित उद्योग में तथा अधिनियम की धारा 1 (3) (बी) के अनुसार भारत सरकार द्वारा अनुसूचित स्थापनाओं के वर्ग में अन्तर्भूत नहीं है। अतः आपकी स्थापना को असूचिबद्ध माना गया है।

(1-क) जाँच पड़ताल/उपलब्ध सूचना के आधार पर स्थापित तत्कालिक स्वहय की है, लेकिन इस तर्त पर कि आपके पूर्व अवधि के प्रलेख सत्यापित हो जाए।

(1-A) The coverage is provisional on the basis of enquiries made/information available and is subject to further verification of your records for prior periods.

(1-अ) अधिनियम की धारा (1) (4) के अनुसार कर्मचारी भविष्य निधि एवं प्रकिर्ण उपलब्ध अधिनियम, 1952 के स्वैच्छिक रूप से विस्तार के सम्बन्ध में प्राप्त आपके आवेदन सं. दि. के सम्बन्ध में कर्मचारी भविष्य निधि प्रकीर्ण उपलब्ध अधिनियम की धारा 1 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त अधिकार का प्रयोग करते हुए भारत सरकार द्वारा अधिसूचना जारी होने तक आपकी स्थापना की तात्कालिक रूप से दि. से, व्याप्ती करके उसके लिए एम्एच/ यह संकेत संख्या नियत की गई है।

(1-B) With reference to your application No. P.D. 1586/53/1 Dated 24/1/56 received for extension of Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 under section 1 (4) of the Act, on a voluntary basis, a code number is hereby allotted to your establishment namely MH/P.N./31854 provisionally covering your establishment with effect from perding issue of a notification by the Government of India in exercise of the powers conferred on them by sub-section (4) of section 1 of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952.

(1-क) आपकी कर्मचारी भविष्य निधि एवं प्रकिर्ण उपलब्ध अधिनियम, 1952 और उसके अधिन बनाई गई योजना के उपबन्धों का अनुपालन करने के लिए एम्एच/ यह संकेत संख्या नियत की है। यह संकेत संख्या इस कार्यालय के साथ किये जानेवाले सभी पत्राचार पर नित्य रूप से उद्धृत की जाए।

(1-C) The code No. MH/P.N./31854... is allotted to you for the purpose of making compliance with the provisions of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 and the Scheme framed thereunder. This code number should invariably be quoted in all the correspondence with this office.

2. आपको से कर्मचारी भविष्य निधि योजना से परिवार पेन्शन योजना तथा से तिलेप सहवृद्ध बीमा योजना के उपबन्धों को कार्यान्वित करना है, अगर अभी तक न किये हो, तो।

2. You are required to implement the provisions of the Employees' Provident Fund Scheme w. e. f. Family Pension Scheme w. e. f. and Deposit Linked Insurance Scheme w. e. f. if not already done.

3. फैक्ट्री/स्थापना में या उसके काम के सम्बन्ध में कार्य करने वाला कर्मचारी भविष्य निधि योजना, 1952 की धारा 26 के अनुसार निधि की सदस्यता के लिए पात्र होगा।

3. As provided in para. 26 of the Employees' Provident Fund Scheme, 1952, an employee working in or in connection with the work of the factory/establishment shall be eligible for membership of the fund.

4. (1) हर महीने प्रत्येक कर्मचारी को देय मूल वेतन, महागाई भत्ता (अनाज सुविधा की नगद कीमत के साथ) और अगर हो तो प्रतिधारणभत्ते के $6\frac{1}{2}\%$ / 8% / $8\frac{1}{2}\%$ / 10% की दर में अंशदान नियोक्ता द्वारा देय होगा। कर्मचारी द्वारा देय अंशदान नियोक्ता द्वारा देय अंशदान के समान होगा।

4. (i) The contributions payable by the employer shall be at the rate of $6\frac{1}{2}\%$ / 8% / $8\frac{1}{2}\%$ / 10% of basic wages, dearness allowance (including cash value of food concession) and retaining allowance, if any payable to each employee, every month. The contribution payable by the employee shall be equal to the contribution payable by the employer. Rate of contribution w. e. f. from Aug '53 is $8\frac{1}{2}\%$ Compulsory, instead of $6\frac{1}{2}\%$.

(2) अंशदान पूर्ण महीने में प्राप्त किये मूल वेतन, महागाई भत्ता आदी के आधार पर परिकलित किया जाए, चाहे वह दैनिक, साप्ताहिक, पार्षिक या मासिक आधार पर अदा किया है।

(ii) The contributions shall be calculated on the basic wages, dearness allowance etc. actually drawn during the whole month whether paid on daily, weekly, fortnightly or monthly basis.

(3) प्रत्येक अंशदान रुपये के नजदिक के चतुर्थांश में परिकलित किया जाएगा। जैसे कि 0.50 या उसके अधिक पैसे रुपये के अगले उच्च चतुर्थांश के अनुसार गिने जाए।

(iii) Each contributions shall be calculated to nearest of a rupee i. e. 0.50 paise or more to be counted as next higher of a rupee and less than 0.50 Paise should be ignored.

(4) अंशदान की परिगणना हेतु वेतन नजदिक के रुपये में पूर्णांकित किया जाए जैसे कि 50 या उससे अधिक पैसे एक रुपया के अनुसार गिने जाए और 50 से कम पैसे छोड़ दिये जाए।

(iv) For the purpose of calculation of contributions the wages may be rounded off to the nearest rupee i. e. 50 paise or more being taken as one rupee and less than 50 paise ignored.

(5) नियोजता प्रथमः उसके और कर्मचारी की ओर से देय दोनों अंशदान करें।

(v) The employer shall in the first instance, pay both contributions payable by himself and also on behalf of the member.

(6) ठेकेदार द्वारा कामपर लगाये हुये कर्मचारीयों के बारे में देय अंशदान ठेकेदार वसूल करेगा और सदस्य के अंशदान की कटौती समान अंशदान की राशी प्रशासनिक खर्चों की रकम के साथ मुख्य नियोजता को सुपूर्त करेगा :

(vi) In respect of employee employed by or through a contractor, the contractor shall recover the contribution payable by such employees and shall pay to the principal employer the amount of member's contribution so deducted together with an equal amount of contributions and administrative charges.

(7) मुख्य नियोजता पर उसके कर्मचारीयों के एवं ठेकेदार द्वारा कामपर लगाये गये कर्मचारीयों के बारे में देय दोनों अंशदान और प्रशासनिक खर्चों की रकम भरने की जिम्मेदारी होगी।

(vii) It shall be the responsibility of the principal employer to pay both the contributions payable by himself in respect of employees employed by him and also in respect of employees employed by or through a contractor and also Administrative charges.

5. कर्मचारी को उसका वेतन देने से पहले आप उसके वेतन से कर्मचारी के अंशदान की कटौती करें और आपका अंशदान एवं प्रशासनिक खर्चों की रकम के साथ प्रत्येक महीने को समाप्ति के 15 के दिन अन्दर भारतीय स्टेट बैंक द्वारा पोषित निधि के लेख में अलग चालान द्वारा निम्नलिखित प्रकार से करें।

5. Before paying the member his wages, you shall deduct the employee's contributions from his wages which together with your own contribution and administrative charges shall, within 15 days of the close of every month be paid in the Accounts of the Fund maintained by the State Bank of India by separate challans in the following manner :

PF w.e. 8	(क) अ. नि. अंशदान (दोनों कर्मचारी एवं नियोजता का)	कर्मचारी भविष्य निधि लेखा सं 1 में निक्षेपित किया जाए।
- 1-1-96	(a) P. F. contributions (both employees' and employer's)	To be deposited in Employee's Provident Fund Account No. 1.
Pension scheme	(ख) प्रशासनिक खर्चों की रकम	कर्मचारी भविष्य निधि लेखा सं 2 में निक्षेपित किया जाए।
w.e. 8 =	(b) Administrative charge:	To be deposited in Employees' Provident Fund Account No. 2.
- 1-1-96	(ग) परिवार पेन्शन अंशदान	कर्मचारी परिवार पेन्शन निधि लेखा सं 10 में निक्षेपित किया जाए।
phi LF w.e. 8	(c) Family Pension contributions	To be deposited in Employees' Family Pension Fund Account No. 10.
- 1-1-96		

टिप्पणी :- 1. प्रशासनिक खर्चों की दर वेतन के, अर्थात् मूल वेतन, अनाज सुविधा की नकद कीमत के साथ महंगाई भत्ता और अगर हो तो प्रतिधारण भत्ते के 0.37% है। जिस स्थानों द्वारा प्रशासनिक खर्चों की रकम प्रतिमास 5-00 रुपयों के कम परिकल्पित होती हो, उसके द्वारा प्रशासनिक खर्चों की रकम प्रतिमास कम से कम 5-00 रुपये देय होगी।

NOTE : (i) The rate of administrative charges is 0.37 per cent of pay i. e. basic wages, dearness allowance including cash value of any food concession and retaining allowance, if any upto Sept. 86 & w.e. Oct. 86 the rate is increased to 0.65%.

(2) यह भी नोट कर लिया जाये कि सदस्य के वेतन से यथा समय कटौती न करने पर अंशदान के दोनों हिस्से खुद नियोजता को भरने होंगे क्योंकि उक्त अवधि वेतन से पिछले अवधि के लिये बकाये अंशदान की वसूली निषिद्ध है।

(ii) It may be noted that if timely deductions are not made from the members wages, the employer will have to pay both the shares himself as the recovery of arrears contributions for back period from the subsequent wages of the employee is prohibited.

श्री/श्रीमती _____

प्रविण्य निधि निरीक्षक

भवदीय,

क्षेत्रीय प्रविण्य निधि आयुक्त,

महाराष्ट्र तथा गोवा.

Provident Fund Inspector

Shri R.G. Waghchaure

Please acknowledge receipt of this communication.

Yours faithfully,

Regional Provident Fund Commissioner,
Maharashtra and Goa.

2/3/83

gk
17-3-83